न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *चुतराराम जाट बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी* *अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम* *राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 03/2025*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-10-25	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं0 124/4 वाके ग्राम सतलाना पटवार हल्का सतलाना तहसील लूणी में आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम चुतरा राम के स्थान पर बोलता नाम अर्जुनराम दर्ज कर दिया गया हैं जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम चुतरा राम हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रैकर्ड में त्रुटिवश चुतरा राम के स्थान पर अर्जुनराम दर्ज कर दिया गया जो कि गलत हैं। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड पेनकार्ड इत्यादि दस्तावेज बने हुए है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नंबर 124/4 के राजस्व रैकर्ड में प्रार्थी का नाम अर्जुनराम के स्थान पर चुतरा राम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को प्रकरण में जवाब/जांच हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भूअ./2025/1553 दिनांक 23.05.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सतलाना के नामान्तरकरण 1368 बैचान से खसरा संख्या 117, 124 पोलाराम भवरलाल पुत्र देवाराम जाति सुथार से चंदाराम, पुनाराम, अर्जुनराम, तेजाराम, मुनाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट सा. सांगरिया खातेदार दर्ज हुआ। उक्त खसरो में अर्जुनराम पुत्र मांगीलाल का नाम जरिये रजिस्ट्री जरिये नामान्तरकरण 1368 (बैचान) से दर्ज हुआ। ग्राम सतलाना की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या–83 के खसरा संख्या 124/4 रकबा 7.2115 हैक्टेयर में अर्जुनराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा–1/5 जाति जाट सा. सांगरिया खातेदार दर्ज है। पत्रालवी का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रैकर्ड में नाम शुद्धिकरण चाहा है। इस संबंध में तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि के रैकर्ड में अर्जुनराम पुत्र मांगीलाल का नाम जरिये रजिस्ट्री बैचान से दर्ज हुआ। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत पोषणीय नही होने के कारण अस्वीकार किये जाने है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ([illegible] एस.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	